निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1144) पटना, वृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2019

मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
10 अक्टूबर 2019

सं0–IV/एम[1]–1–12/2019–**3644**—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य सम्बंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा–69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियमावली बनाते है : –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः**–(1) यह नियमावली **बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019** कहलाएगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगा।
2. **बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम–2 के उप नियम–(xviii) के बाद उप नियम–(xix) एवं (xx) के रूप में निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगाः –**

"2.(xix)– जमाबंदी से तात्पर्य वही होगा जो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–2 की उप–धारा (26) में वर्णित है।"

"2.(xx)– धृति से तात्पर्य वही होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–2 की उप–धारा (44) में वर्णित है।"

3. **बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम–19 के उप नियम–(xvi) के बाद उप नियम (xvii) एवं उप नियम (xviii) के रूप में निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगाः –**

"19.(xvii)– यदि कोई दस्तावेज ऐसी सम्पत्ति की विक्री/दान से संबंधित हो, जिसके विक्रेता/दानकर्त्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने का उल्लेख दस्तावेज में नहीं हो तथा विक्रेता/दानकर्त्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

परन्तु फ्लैट/अपार्टमेंट से संबंधित अंतरण दस्तावेजों पर यह लागू नहीं होगा।

(xviii)– यदि कोई दस्तावेज ऐसी सम्पत्ति की विक्री/दान से संबंधित हो, जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्मित फ्लैट/अपार्टमेंट के विक्रेता/दानकर्त्ता के नाम से धृति कायम होने का उल्लेख दस्तावेज में नहीं हो तथा विक्रेता/दानकर्त्ता के नाम से धृति कायम होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

परन्तु फ्लैट/अपार्टमेंट से संबंधित प्रथम अंतरण दस्तावेजों पर यह लागू नहीं होगा।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

10 अक्टूबर 2019

सं0–IV/एम[1]–1–12/2019–**3644** उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 10th October 2019

NO.-IV/M[1]- 1-12/2019-**3644**—In exercise of the power conferred by clause (a) and (aa) of sub Section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (as amended by Registration and other related laws (amendment) Act, 2001 the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar makes following Rules: -

1. **Short title, extent and commencement:—**(1) These rules may be called the Bihar Registration (Second amendment) Rules, 2019.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force with effect from the date of publication in Bihar Gazette.
2. **The following shall be added after sub-rule (xviii) as sub-rule (xix) & (xx) of Rule-2 of the Bihar Registration Rules, 2008: -**
   "2 (xix)- "Jamabandi" means same as mentioned in the sub-section (26) of Section-2 of the Bihar Land Mutation Act, 2011."
   "2 (xx)- "Holding" means same as mentioned in the sub-section (44) of Section-2 of the Bihar Municipal Act, 2007."
3. **The following shall be added after sub-rule (xvi) as sub-rule (xvii) & sub-rule (xviii) of Rule-19 of the Bihar Registration Rules, 2008: -**
   "19 (xvii)- If a document is related to sale/gift of property, in which Jamabandi allotment to seller/donor is not mentioned in the deed and no proof is produced about the Jamabandi allotment to the seller/donor.
   Provided that, it will have no effect on the document related to the transfer of flat/apartment.
   (xviii)- If a document is related to sale/gift of property, in which holding allotment to seller/donor of the flat/apartment in urban region is not mentioned in the deed and no proof is produced about the holding allotment to the seller/donor.
   Provided that, it will have no effect on the document related to the first transfer of flat/apartment."

By the Order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI ,
Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1144-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in